

प्रश्नक,

विमल प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

तथा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विशाला केन्द्र-2, संमुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

विशाला 171 अनुभाग

तखनक: दिनांक: 18 अगस्त 2004

विशाला:- असम्पन्न गवर्निक स्कूल बड़लगंज गोरखपुर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

सहोदय,

उपरोक्त विशाला की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सुं यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रांतबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1.1 विद्यालय की प्रंजीकृत सौसायटी का सत्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ?
- 1.2 विद्यालय की प्रबंध सचिपति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 1.3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 1.4 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायलेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

PRINCIPAL
ASSUMPTION PUBLIC SCHOOL
Sidhuapada, Barhalganj, Gorakhpur

MANAGER
ASSUMPTION PUBLIC SCHOOL
BARHALGANJ, GORAKHPUR

- 151 संस्था के वैश्विक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का 'रिकार्ड' निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार विधिवानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूर्त या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

विश्व प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पूर्वोक्तों एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, अक्षयसदन पाब्लिक स्कूल बड़हनगंज गोरखपुर ।
- 6- गार्ड बुक ।

PRINCIPAL
ASSUMPTION PUBLIC SCHOOL
Gahwapar, Barhaganj Gorakhpur

MANAGER
ASSUMPTION PUBLIC SCHOOL
Gahwapar, Barhaganj Gorakhpur

आज्ञा से,
विश्व प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।